



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231337
CG-DL-E-24112021-231337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4457]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 4457]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

का.आ. 4824(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH143A पर के कि.मी. 12.800 से 29.080 झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH143A पर कि.मी 12.800 से 29.080 तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , लोहरदगा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH143A के कि.मी. 12.8 से 29.08 तक	झारखंड	लोहरदगा	लोहरदगा	<table><tr><td>1</td><td>बक्सी</td></tr><tr><td>2</td><td>बंजार किस्को</td></tr></table>	1	बक्सी	2	बंजार किस्को
					1	बक्सी				
2	बंजार किस्को									

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/Lohardaga bypass/NH-143A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

S.O. 4824(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 12.800 to 29.080 on NH-143A in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH143A from km. 12.800 to km 29.080 in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal		Name of the Village
1	2	3	4	5	6		7
1	District Land Acquisition Officer,Lohardaga	12.8KM. To 29.08KM.	JHARKHAND	LOHARDAGA	Lohardaga	1	Bakshi
						2	Banjar Kisko

[F. No. RW/Ranchi/LA/Lohardaga bypass/NH-143A]

RAJESH GUPTA, Director